ऑनलाइन प्रपोजल संख्या–FP/UP/ROAD/25036/2017 में लगाई गयी आपत्तियों की बिन्दुवार आख्या वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा)

क्रम सं0	नोडल अधिकारी, लखनऊ की आपत्तियां	आपत्तियों का निराकरण	टिप्पणी
1	प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है, किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर मूल में अंकित नहीं हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर अंकित करा दिये गये हैं।	पृष्ठ संख्या– 105
2	भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु किमी0 संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है तथा रिपोर्ट में वन भूमि की कानूनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है।	किमी0 संख्या सही कर के वन भूमि की कानूनी स्थिति को अंकित कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या– 33
3	प्रस्तावित परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर पूर्ण शीर्षक अंकित नहीं है।	पूर्ण शीर्षक अंकित कर दिया गया हैं।	पृष्ठ संख्या– 40
4	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न है किन्तु प्रस्ताव में 1914 वृक्षों की सूची संलग्न है जबकि अन्य प्रमाण पत्रों में 1767 बाधक वृक्ष बताये गये है तथा ऑनलाइन पार्ट–2 में 1860 बाधक वृक्ष अपलोड किये गये हैं। इस विषमता को स्पष्ट करते हुए दूर करें।	बाधक वृक्षों की संख्या अपलोड करते समय ब्यास वर्ग में वर्गीकरण के अनुसार फीडिंग की गयी है।	पृष्ठ संख्या– 18, 19
5	मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या– 35-36
6	भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.08.2017 के अनुसार परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या–
7	प्रभावित संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दोगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु प्रत्येक चरण पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।	पृष्ठ संख्या– 75 से 80 तक
8	ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map को–आर्डिनेट्स सहित अंकित नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या– 106-107
9	ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र जिस पर शीर्षक, लीजेन्ड व प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित हो, अपलोड नहीं है।	सही करा दिया गया है।	पृष्ठ संख्या–
10	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है तथा चयनित स्थल का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है। अतः विवरण को स्पष्ट करते हुए संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	संशोधित करते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या– 39
11	एन0पी0वी0 में बढ़ोत्तरी के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या– 31
12	वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है	पृष्ठ संख्या– 111
13	वनाधिकार अधिनियम,–2006 के तहत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। अतः मूल में संलग्न करें।	संलग्न कर दिया गया है	पृष्ठ संख्या–
14	प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड कास सेक्शन (Liner Plan) जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो तथा सडक के किनारे अवशेष जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण अंकित हो, संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है	पृष्ठ संख्या– 98-100
15	गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है, किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं है।	मार्ग चिन्हीकरण का कार्य कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या– 97

16	गैर वन भूमि पर मलवा निस्तारण की दशा में भू स्वामित्व का सहमत पत्र संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण की कार्यवाही नहीं की जानी है, प्रमाण पत्र संलग्न है।	पृष्ठ संख्या– 96
17	ऑनलाइन भाग–1 में कालिजर से बघेलाबारी सड़क के किमी0 0.00 से 2.50 तक चौड़ीकरण का उल्लेख है जबकि प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों में किमी0 0.00 से 1.500 तक चौड़ीकरण का उल्लेख किया गया है। अतः इस विषमता को स्पष्ट करते हुए दूर करें।	किमी0 की विषमता को स्पष्ट कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या– 10
18	हिन्दी वर्जन भाग–1 में व ऑनलाइन भाग–1 में रोजगार का विवरण भिन्न भिन्न अंकित है। अतः एक समान विवरण अंकित करें।	एक समान विवरण अंकित कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या– 10
19	हिन्दी वर्जन भाग–1 (V) में लागत लाभ विश्लेषण का विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।	लागत लाभ विश्लेषण का विवरण अंकित कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या– 113
20	ऑनलाइन भाग–2 में जिले की प्रोफाइल में विवरण हिन्दी वर्जन भाग–2 के अनुरूप न होकर भिन्न–भिन्न अंकित किया गया है। अतः एक समान उचित विवरण अंकित करें।	ऑनलाइन भाग–2 में जिले की प्रोफाइल में विवरण हिन्दी वर्जन भाग–2 के अनुरूप कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या–
21	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–18 पर संलग्न प्रमाण पत्र में कुल लम्बाई 26.675 अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।	स्पष्ट करना है कि किमी0 संख्या–41.350 से 42.00 तक आर0ओ0बी0 के लिए प्रस्तावित है। अतः इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है, जिस कारण किमी0 संख्या त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है।	पृष्ठ संख्या–
22	वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु किमी0 संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित है तथा वन भूमि की कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है।	स्पष्ट करना है कि किमी0 संख्या–41.350 से 42.00 तक आर0ओ0बी0 के लिए प्रस्तावित है। अतः इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है, जिस कारण किमी0 संख्या त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है।	पृष्ठ संख्या–
23	प्रस्ताव में व्यासवार, वैज्ञानिक नामि सहित बाधक वृक्षों की सूची का सारांश संलग्न नहीं किया गया है।	संलग्न कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या–
24	ऑनलाइन भाग–2 के (Additional Information Detail) में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड कर रिमार्क में प्रमाण पत्रों का नाम अंकित करें। लागत लाभ विश्लेषण का विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।	ऑनलाइन भाग–2 के (Additional Information Detail) में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड कर रिमार्क में प्रमाण पत्रों का नाम अंकित कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या–
25	कमियों का निराकरण कर प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन अपलोड़ करते हुए संशोधित पार्ट–2 प्रस्ताव में संलग्न करें।	कमियों का निराकरण कर प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।	पृष्ठ संख्या–

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, बांदा।